न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आरए.एस

अपील सं. 73/ 2020 (75 एलआरए) पूरसिंह बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00091)

पूरसिंह पिता दुलेसिंह, जवानसिंह पिता शोभसिंह जाति राजपूत निवासी बिलावली तहसील गंगधार

..... अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान

..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार गंगधार
दिनांक 13.11.2019 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 256 /2019

उपस्थित :

1 अपीलांटस की ओर से अधिवक्ता श्री तंवर सिंह झाला।

2 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन।

निर्णय

दिनांक .02 2021

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार गंगधार के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 256/ 2019 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की ...

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ... न्यायालय नायब तहसीलदार गंगधार के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 256/ 2019 पटवारी हल्का भाटखेड़ी की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को नोटिस जारी किया परंतु अतिक्रमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:50:59 IST
Reason: SelfAttested

बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 13.11.2019 को निर्णय पारित किया गया कि पूरसिंह पिता दुलेसिंह, जवानसिंह पिता शोभसिंह जाति राजपूत निवासी बिलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड़ द्वारा इस वर्ष संवत 2076 में खसरा नं. 1079, 1079/1 की 2.12 बीघा किस्म गै0मु0बंजड़ पर कब्जा कर सोया/घास बोकर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी द्वारा गत वर्ष संवत 2075 में भी अतिक्रमण किया था जिसके फलस्वरूप इसे धारा 91 एल.आरएक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर मिसल नं. 1666 निर्णय दिनांक 11.03.2019 से बेदखल कर राशि 3100/- शास्ति कायम की गई थी। अतिक्रमी द्वारा पुनः इस वर्ष भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इस प्रकार का अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। पटवारी हल्का भाटखेडी के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली कराए गए। पटवारी हल्का के बयान से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। अतः अप्रार्थी को एलआर एक्ट 1956 की धारा 91 के अंतर्गत ग्राम बिलावली की आराजी खसरा नं. 1079, 1079/2 रकबा 2.12 बीघा किस्म गै0मु0 बंजड़ पर बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही लगान 2.86 का 50 गुणा 700 रु. पेनल्टी भी कायम की जाती है। फसल को जप्त राज करवा कर नीलामी के आदेश दिये जाते हैं। राशि की मांग कायमी पटवारी व टी.आरए. को करवाई जावे साथ ही अप्रार्थी का ग्राम बिलावली की आराजी खसरा नं. 1079, 1079/1 रकबा 2.12 बीघा किस्म गै0मु0बंजड़ भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अप्रार्थी को एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास सजायाब किया जाता है। वारंट गिरफ्तारी थानाधिकारी गंगधार को भिजवाए गए। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

3 उक्त अपील सबजेक्ट टु लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री तंवर सिंह झाला ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना केप्रेसयस तथा परवर्स होने तथा पत्रावली पर साक्ष्य विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा पेश की गयी रिर्पोट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जबकि पटवारी ने अपीलान्ट की मोजुदगी में पैमाइश नहीं की है। अपीलान्टस का कोई कब्जा आराजी खसरा नम्बर 1079, 1079/1 की 2.12 बीघा गै0मु0 बंजड़ भूमि पर नहीं है, तथा पेनल्टी की राशि भी जमा कर दी गयी है, तथा कब्जा छोड़ने का प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर देगा। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:50:59 IST
Reason: SelfAttested

गया तथा बिना प्रार्थी के जवाब लिए व बिना साक्ष्य लिए प्रार्थी की गैर मोजुदगी में ही एकतरफा निर्णय पारित किया गया। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.11.2019 का ज्ञान सर्वप्रथम तब हुआ जब पुलिस दिनांक 20.12.2019 को तलाश करने आई। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपील अंदर मियाद मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध एवं एकतरफा होने से अपील स्वीकार फरमा कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.11.2019 अपास्त किया जावे। प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से अपील के संलग्न है।

5 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जिसके समर्थन में रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है तथा पटवारी हल्का की साक्ष्य ली गई है जो पर्याप्त है। कब्जा छोड़ने का कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा प्रा0पत्र का कोई जवाब या खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश नही करने के कारण अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का समूचित अवसर नही दिया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 13.11.2019 को तहसील कार्यालय गंगधार पर उपस्थित होने हेतु विधि अनुरूप नोटिस जारी किया था, जिसकी तामील स्वंय जवान सिंह पुत्र दुलेसिंह को हुई है इसलिये वकील अपीलान्ट का पहला तर्क मान[illegible] नहीं है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में [illegible] यह [illegible] है कि अपीलान्ट का कोई कब्जा आराजी खसरा नम्बर [illegible] 1079/1 [illegible] 12 बीघा गै0मु0बंजड भूमि पर नहीं है, तथा पेनल्टी की राशि भी जमा कर दी गई है, तथा कब्जा छोड़ने का प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर देगा। अपीलांट के अधिवक्ता के अनुसार यदि अपीलान्ट का कोई कब्जा उक्त आराजी खसरा नम्बर पर नहीं है । उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट का अतिक्रमण आराजी पर था, यदि उसने निर्णय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:50:59 IST
Reason: SelfAttested

पश्चात कब्जा छोड़ दिया है, तो भी उसे कानूनन कोई राहत नही मिल सकती। अतः कब्जा छोड़ने का आधार अपील में स्वीकार योग्य नही है।

9 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील मानकर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, अपीलान्ट के अधिवक्ता ने जो तर्क दिया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर नही दिया ओर अपीलान्ट की गैर मौजुदगी में एक तरफा निर्णय पारित कर दिया जो कि स्वीकार योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया था जिसके कम में अपीलान्ट को निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था। इस संबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत नही किये है। अपीलान्ट का अतिक्रमण होना प्रमाणित है क्योंकि उसके द्वारा जुर्माना राशि जमा करा दी है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से होती है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा सम्वंत 2075 में भी उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया गया था जो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट द्वारा इस अपील में जो आक्षेप उठाये गये है, उनमें भी ऐसे कोई कानूनी बिन्दु नही है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन प्रतीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10 अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है ।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

11 निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:50:59 IST
Reason: SelfAttested

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़